ज्ञापांक–**538**/Tech./2024

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–23.01.2024

सेवा में,

DEVIKA CONSTRUCTION AND DEVLOPERS PVT LTD,
THR DIRECTOR RAHUL DHANUKA, DAMINI MODI, GOURAV MODI, ANANT JAIN, DHARAM CHAND JAIN, RAKESH JAIN, ANIMA KANOI, RASHMI KANOI, SUNIL KUMAR AGARWAL AND OTHERS,
PANCHWATI PLAZA 3RD FLOOR SHOP NO-315 KUTCHERY ROAD, RANCHI.

विषयः– **मौजा–Gari and Tiril, प्लॉट नं0–601, 602, 708, 709, 710, 711, 712, खाता नं0–98, 99, 117, 134, वार्ड नं0–9, थाना–सदर, जिला–राँची में प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय–सह–व्यावसायिक भवनों के निर्माण हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय–सह–व्यावसायिक भवनों के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, आड्रे हाउस, राँची के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–41 दिनांक–14.01.2024 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय–सह–व्यावसायिक भवनों के निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित आवासीय भवन परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 2,00,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रत्येक भवनों में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम दस–दस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. भवनों के चारों तरफ 150mm डाया वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
5. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ प्रत्येक भवनों के दोनों स्टेयरकेश लॉबियों में 150 MM डाया वाला एक–एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. भवनों के बेसमेन्ट, सतही तल, Community Hall एवं सभी व्यावसायिक तलों स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. भवनों के Community Hall एवं सभी व्यावसायिक तलों को Smoke Detector से सुरक्षित किया जाय।
8. स्प्रिंकलर के जलापूर्त्ति हेतु अलग से पाईप लाईन की व्यवस्था की जाय, जिसका संबंध अंडरग्राउण्ड टैंक से रहे।
9. अग्निशमन कार्य हेतु एक–एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2850 Lpm क्षमता का एक–एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय। जिसमें सबसे ऊँचे तलों पर भी कम से कम 3.5 kg /CM^2 दाब की क्षमता हो।

10. प्रत्येक भवनों में 450 Lpm क्षमता वाले एक–एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
11. प्रत्येक भवनों में 180 Lpm क्षमता वाले एक–एक जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय। जिसमें सबसे ऊँचे तलों पर भी कम से कम 3.5 kg / CM^2 दाब की क्षमता हो।
13. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
14. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
15. उपर्युक्त भवन के सभी लिफ्टों को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
16. NBC मानक के अनुरूप सेटबैक एरिया एवं रिफ्यूज एरिया का निर्माण कराया जाय, अग्निशमन एवं बचाव कार्य हेतु प्रत्येक आवासीय भवनों के सामने वाले भाग में 12-12 मीटर चौड़ी, ठोस एवं समतल जगह खुले रूप में हर समय उपलब्ध रखा जाय एवं सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए।
17. बेसमेन्ट में Transformer, Boiler, Pressurized Cylinder, Generator, A.C न रखें जाय। भवन में बेसमेन्ट वाले भाग में समुचित Ventilation की व्यवस्था रखी जाय, ताकि प्रति घंटा कम से कम 12 से 15 एयर चेंज होता रह सकें एवं आपात स्थिति में इसे 30 एयर चेंज तक बढ़ाया जा सकें। बेसमेन्ट के लिये अलग से सीढ़ी एवं लिफ्ट की व्यवस्था रखी जाय अथवा सतही तल पर ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि उपरी तलों से सीढ़ी/लिफ्ट से आने पर सतही तल पर रूकने के बाद ही बेसमेन्ट के लिए प्रस्थान कर सके।
18. प्रत्येक भवनों में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए दो की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
19. सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
20. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिसटेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो एवं भवनों में दो सीढ़ी होनी चाहिए एवं सीढ़ियों की चौड़ाई NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
21. प्रत्येक भवनों की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
22. प्रत्येक भवनों के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 के0जी0 क्षमता के 04-04 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
23. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Auto Modular Fire Extinguisher एवं रबड़ मैट से सुरक्षित किया जाय। मेन ईलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। ।
24. प्रत्येक भवनों में बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
25. प्रत्येक भवनों में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो।
26. भवनों के प्रत्येक तलों के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि–रोधी फायर चेकडोर का संस्थापन कराया जाय।
27. भवनों में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
28. भवनों को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।

29. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
30. भवनों के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
31. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 एवं 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2024.01.24 16:40:10 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।